



वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
www.ric.rajasthan.gov.in

समोऽतं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः

श्रीमद्भगवतगीता

अर्थात्

मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।
मैं सभी के लिये सम्भाव हूँ।





वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक खेल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
www.ric.rajasthan.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1—2
2.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	3—15
3.	अधिनियम का क्रियान्वयन	16—18
4.	संप्रेषण	19—21
5.	परिशिष्ट —1	22—26

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासांगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि ‘सूचित नागरिकता’ व ‘सूचना की पारदर्शिता’ प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं? इसलिये आवश्यक है सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा—जोखा की पारदर्शिता नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था उसे सूचना के अधिकार अधिनियम ने निष्प्रभावी कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था, इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं

तक पहुँच के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार हुआ है।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक “प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक” बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधन की सिफारिशें सरकार को सौंपी गईं। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुईं।

सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों (जम्मू कश्मीर को छोड़कर), स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती—राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा गया है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।


राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढाँचा बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत् राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 01.09.2010 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम.डी. कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.04.2011 को पूर्ण हुआ तत्पश्चात द्वितीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी० श्रीनिवासन को दिनांक 05.09.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने के पश्चात तृतीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री सुरेश चौधरी तथा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री चन्द्रमोहन मीना एवं श्री आशुतोष शर्मा को दिनांक 06.11.2015 को राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। आयोग एक वैधानिक निकाय है जो पूर्णतया स्वायत्तशासी है तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

(ब) संगठनात्मक ढाँचा:-

राजस्थान राज्य सूचना आयोग



(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ-साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिये लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील / परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे राज्य सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है।

राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :—

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ— आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं—

- (क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या राज्य लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।
- (ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।
- (ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- (घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।
- (ङ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।
- (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिये युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जांच आरम्भ कर सकेगा।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है :—

- (क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिये उनको विवश करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना; और
- (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच मे लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :—

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग को प्राप्त है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में विनिश्चय प्राप्त किया गया था या निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं होने अथवा विनिश्चय से असंतुष्टी की स्थिति में, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति आरोपण की शक्तियाँ :—

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

- (क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या
- (ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या
- (ग) सूचना आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या
- (घ) जान-बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या
- (ङ) सूचना आवेदन की विषय-वस्तु को नष्ट कर दिया है, या
- (च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250/- प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये 25000/- हो सकती है।

शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावनापूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिये सिफारिश करेगा।

(4) अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना :—

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :—

- (1) सूचना उपलब्ध करवाने बाबत;
- (2) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में;
- (3) कठिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाने के संबंध में;
- (4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्ति प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में;
- (5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में;
- (6) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;
- (7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है;
- (8) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित कर सकता है;
- (9) आवेदन को नामंजूर कर सकता है;

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य

सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:—

- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या
- (2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या
- (3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम
- (4) एकत्रित शुल्क की धन राशि
- (5) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण
- (6) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :—

आयोग को वर्ष 2015–2016 के लिये राशि ₹0 210.00 लाख “ग्रान्ट इन एड” के रूप में आवंटित की गयी है जिसके विरुद्ध राशि ₹0 216.94 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2015–16 में दो नये वाहन राशि ₹0 13.50 लाख की लागत के उपलब्ध बजट प्रावधान / पूर्व वर्षों की अवशेष बचत राशि से क्रय किये गये।

(6) कार्यालय :—

आयोग का कार्यालय आयोग के गठन से अक्टूबर 06 तक योजना भवन में एवं नवम्बर 06 से हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) में था। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात् हरिश्चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19.4.2013 को किया गया तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2013 से आयोग का कार्यालय यहां संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :—

राजस्थान सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिये राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।


(8) क्रियान्विति :—

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धाराएँ 18, 19, 20 व धारा 25 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की है व आवश्यक कदम उठाये हैं। राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग दस वर्ष की इस अवधि में पूरे राज्य में लोक प्राधिकरणों को अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत व तदनुरूप कार्य करवाने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन—जन तक पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार—प्रसार का ही परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष 31 मार्च, 2015 को 195 परिवाद एवं 14595 द्वितीय अपीलें लम्बित थीं।

वर्ष 2015–2016 में “सूचना के अधिकार” को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :—


परिवादों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
अप्रैल, 2015	58	58	195
मई, 2015	77	57	215
जून, 2015	43	92	166
जुलाई, 2015	38	71	133
अगस्त, 2015	34	42	125
सितम्बर, 2015	51	44	132
अक्टूबर, 2015	14	55	91
नवम्बर, 2015	53	39	105
दिसम्बर, 2015	91	60	136
जनवरी, 2016	44	31	149
फरवरी, 2016	39	49	139
मार्च, 2016	70	41	168
योग	612	639	



■ प्राप्ति ■ निस्तारण


परिवादों की प्रगति



लम्बित परिवादों का विवरण

अपीलों की मासिक प्रगति का विवरण

माह	माह के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2015	744	759	14580
मई, 2015	805	679	14706
जून, 2015	702	921	14487
जुलाई, 2015	970	645	14812
अगस्त, 2015	718	135	15395
सितम्बर, 2015	502	363	15534
अक्टूबर, 2015	680	387	15827
नवम्बर, 2015	835	382	16280
दिसम्बर, 2015	702	781	16201
जनवरी, 2016	460	1268	15393
फरवरी, 2016	540	1510	14423
मार्च, 2016	355	1208	13570
योग	8013	9038	



■ प्राप्ति ■ निस्तारण

अपीलों की प्रगति



लम्बित अपीलों का विवरण

(9) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) में प्रदत्त प्रथम अपीलीय आदेश पर देय सूचना प्रदान कराने के लिये अभिनव प्रयोग :—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत संस्थित प्रथम अपीलों के निर्धारित अवधि में निर्णय न होने अथवा निर्णयों से संतुष्ट न होने पर या उसकी पालना न होने पर धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील या धारा 18(1) के तहत परिवाद आयोग में प्रस्तुत होते हैं।

प्रथम अपीलों के निर्णयों के क्रम में जब सूचना संबंधित अपीलीय प्राधिकारी/राज्य लोक सूचना अधिकारीगणों द्वारा प्रेषित नहीं की जाती है तो राहत प्राप्त करने के लिये आयोग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं जिस पर आयोग में प्रथमतः विविध प्रार्थना पत्र (Miscellaneous Application) दर्ज किये जाकर सचिव, राज्य राज्य सूचना आयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है। जिन प्रकरणों में प्रार्थी को सूचना प्राप्त हो जाती है उन्हें समाप्त किया जाता है एवं अवशेष परिवाद में दर्ज किया जाते हैं। यह कार्यवाही राज्य सूचना आयुक्त के अनुमोदनपरांत की जाती है।

इस प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2015–16 में 274 प्रकरणों में सूचना प्रदान करवा दी गई है एवं 305 मामलों में सूचना न मिलने पर या प्रदत्त सूचना से परिवादी के सन्तुष्ट नहीं होने की स्थिति में धारा 18(1) के तहत परिवाद पंजीकृत किये गये हैं।

(10) लोक सूचना अधिकारी :— पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। अधिकांश: विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

“सूचना के अधिकार” कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थायें हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2015–16 में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार व अन्य के सहयोग से कुल 32 आमुखीकरण कार्यशाला/प्रशिक्षण जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर अवस्थित प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किये गये हैं।

(11). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2015–2016 में आरोपित शास्ति, लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं इसके विरुद्ध जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

विवरण	शास्ति (रुपयों में)		क्षतिपूर्ति (रुपयों में)	
	आरोपित	जमा राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	89,27,000	7,88,000	1,20,000	14,500

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :—

सूचना आयोग के निर्णयानुसार आरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई जाती है। अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके, इसके लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को पत्र लिखे गये हैं। प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव को शास्ति राशि जमा कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु समय—समय पर लिखा जाता रहा है।

साथ ही शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली / अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (audit para) के रूप में सम्मिलित किये जाने के क्रम में आयोग के सुझाव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

आलोच्य वर्ष 2015–16 में आरोपित शास्ति एवं जमा राशि तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति का विवरण :—

विवरण	आरोपित शास्ति	जमा शास्ति	लगाई गई क्षतिपूर्ति	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति
1	2	3	4	5
अपील / परिवाद	89,27,000	27,55,335	1,20,000	18,500

इस जमा शास्ति / क्षतिपूर्ति राशि में कमशः 7,88,000/- एवं 14,500/- वर्ष 2015–16 की है, शेष राशि पूर्व वर्षों की है।

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम ‘राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005’ दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में आयोग कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे० एल० एन० मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.06.2013 को यहां स्थानांतरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने—अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशासी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपीलीय प्राधिकारी हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य

सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम—पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाना पड़ें। कई विभागों ने विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर वितरित की हैं जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। विभागाध्यक्षों के लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जानें कि उनके विभाग में समय—समय पर कितने परिवाद/अपील आये, कितने निर्णीत हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव/विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नहीं होगी।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति परिशिष्ट – 1 पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वयं ऐच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये हैं।

सूचना का अधिकार कानून पूरी तन्मयता से लागू हो इसके लिये आवश्यक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारें में आम नागरिकों को सहज सुलभ जानकारी हो। जिला कलेक्टर एवं प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में सूचना का अधिकार की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलेक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनावे। साथ ही सालाना इस निर्देशिका को अद्यतन (up-date) करने का सामान्य कार्यालयी अभ्यास बना ले।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों व द्वितीय अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिए अधिकारियों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की कियान्विति संतोषजनक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात् लगभग ग्यारह वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाएँ भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचनाओं की माँग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है।
4. सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे। इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। लगभग ग्यारह वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है।
6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर तक, जिनका इस अधिनियम के अन्तर्गत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक / पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक ज्ञान अदूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन लोक सूचना अधिकारीगणों से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नहीं दे रहे। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है। राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस पर भी लोक सूचना अधिकारीगण सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित नहीं होकर अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद

- स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। अतः इस मामले में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।
8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति का होता है। व्यवहार से देखने में आया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों में पर्याप्त संख्या में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त नहीं हैं। अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसे प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने प्रथम अपीलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं जिस कारण प्रथम अपीलों में उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय प्रायः गुणवतापूर्ण नहीं होते हैं अथवा उनका निस्तारण निर्धारित समय—सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है। साथ ही प्रथम अपीलों में पारित निर्णयों की समुचित क्रियान्वित नहीं होने से अपीलार्थी को विवश होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलें/परिवाद दायर करने पड़ रहे हैं। चूंकि प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है। अतः प्रथम अपील का समय पर निर्णय एवं उनके निर्णय की पालना करवायी जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
 9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है जो अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस डेडीकेटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में जिला कलक्टर कार्यालय में समय—समय पर जिले के अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी / राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी) की बैठक रखी जावे। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाईयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जावे जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में कोई जानकारी अधिकारियों/आमजन के लिये उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ—साथ राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील प्राधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ “हस्तपुस्तिका” तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।
 10. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी “वेबसाईट” पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ‘वेबसाईट्स’ में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है। धारा 4(1) के तहत स्वैच्छिक पारदर्शिता के प्रति सरकारी विभाग अधिक सकारात्मक सक्रिय रहेंगे तो सूचना का अधिकार कानून के प्रयोग की आवश्यकता ही न्यून होगी। इससे पारदर्शिता से सुशासन का उद्देश्य स्वयंमेव ही पूर्ण होगा।
 11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित “गैर सरकारी संगठन” जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः

सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित हैं, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इन संस्थाओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना करनी चाहिये।

12. यह कि विभागों द्वारा अपने—अपने “रिकॉर्ड्स” का सही रख—रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना—पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपकरणों, बोर्ड्स, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिये राजस्थान में भी भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।
जैसे—जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवं यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारीगण / कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोत्तर विकास होगा जो प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।
13. राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मानव संसाधन पर्याप्त नहीं है जिसका प्रभाव इसकी कार्यशैली पर पड़ता है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व तीन राज्य सूचना आयुक्त सहित कुल 68 पद रखीकृत हैं। इनमें से 51 पदों पर अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें से 13 स्थायी एवं 38 सेवानिवृत्त / संविदा आधार पर हैं। अवशेष पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम—2005, की धारा 16(6) के अन्तर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों। अतः आयोग में बढ़ते कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रभावी कार्य किये जाने हेतु राज्य सरकार को आयोग में कार्मिकों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती नियम बनाने हेतु सुझाव दिनांक 15.01.2013 को प्रेषित किये गये हैं जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इनका शीघ्र अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित है। साथ ही अंतरिम काल में राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये जिससे आयोग का काम सुगमता से संचालित हों।
14. आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / परिवादों में आरोपित शास्ति को जमा कराने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। विभागों / लोक प्राधिकरणों से बार—बार पत्राचार करना पड़ता है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत आयोग के आदेश बाध्यकारी है। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय अधिकारी (Supervisory officers) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बिन्दुओं को समीक्षा एजेण्डा में शामिल करें। इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का लेखा—जोखा रजिस्टर संधारित करने से समीक्षा की सहूलियत रहेगी। साथ ही कार्यालय द्वारा अपीलों के जवाब आदि में भी अवांछित विलम्ब से बचा जा सकेगा। सभी लोक प्राधिकरणों को आयोग द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति की राशि स्वतः शीघ्र जमा कराया जाना एवं अधिरोपित शास्ति राशि सम्बन्धित दोषी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर आयोग में जमा कराये जाने अपेक्षित है।

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण

(वर्ष 2015-16)

प्रपत्र - क

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचनाएँ			वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)	
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि बाह्य	अस्वीकृत		
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	597	574	23	571	24	2	0	11,866
2	समेकित बाल विकास विभाग	999	354	645	932	27	19	21	31,218
3	आयुक्तालय महिला अधिकारिता	174	147	27	171	2	1	0	1,632
4	विभागीय जांच विभाग	6	6	0	6	0	0	0	60
5	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	2301	1640	661	1846	137	127	191	80,420
6	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग	1301	905	396	1133	140	17	11	22,485
7	गृह विभाग	52210	35363	16847	48394	660	1896	1260	13,83,196
8	वित्त विभाग	10598	9209	1389	10428	170	0	0	3,59,048
9	पर्यावरण विभाग	68	68	0	63	0	0	5	1,020
10	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	753	711	42	690	56	2	5	4,286
11	अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	686	686	0	366	231	52	37	8,597
12	जयपुर विकास प्राधिकरण	12495	12495	0	5825	3749	1448	1473	13,25,597
13	राज0 राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल	36	36	0	36	0	0	0	1,790
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	1235	1235	0	982	240	0	13	13,480
15	राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड	6	5	1	6	0	0	0	100
16	राज्य निर्वाचन आयोग	139	139	0	137	0	2	0	1,673
17	आयोजना विभाग	171	98	73	122	29	12	8	3,282
18	एच.सी.एम. रीपा	24	21	3	23	1	0	0	848
19	विधि एवं विधिक कार्य विभाग	290	290	0	225	8	57	0	5,088
20	उर्जा विभाग	10848	9043	1805	7588	1808	6	1446	2,39,404
21	उद्योग विभाग	3781	1965	1816	3495	54	70	162	2,59,619
22	जल संसाधन विभाग	2101	1703	398	1929	71	101	0	1,36,628
23	तकनीकी शिक्षा विभाग	1576	1056	520	1394	166	12	4	33,669
24	राजभवन, जयपुर	304	304	0	304	0	0	0	2,587
25	सामान्य प्रशासन विभाग	348	260	88	327	7	13	1	23,501
26	राजस्थान लोक सेवा आयोग	5707	5707	0	2848	1654	572	633	5,88,342
27	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	71	58	13	58	12	1	0	530
28	सहकारिता विभाग	3221	2946	275	3131	44	25	21	1,09,074
29	राजस्थान आवासन मण्डल	4536	3857	679	4355	30	49	102	1,15,768
30	कृषि विभाग	2699	2129	570	2590	66	22	21	93,262

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचनाएँ			वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	प्राप्ति रुपयोगी	प्रदत्त रुपयोगी	उत्तीर्णी	
31	सार्वजनिक निर्माण विभाग	3580	2464	1116	3253	196	25	106 1,06,209
32	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	41	41	0	41	0	0	0 548
33	नगर निगम, जयपुर	4828	4647	181	2784	1018	609	417 53,720
34	श्रम एवं नियोजन विभाग	713	704	9	659	45	4	5 9,637
35	पर्यटन विभाग	245	219	26	170	51	0	24 9,581
36	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1353	1224	129	1212	97	26	18 9,887
37	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	826	826	0	826	0	0	0 12,222
38	उच्च शिक्षा विभाग	1627	1464	163	1198	369	20	40 38,381
39	देवस्थान विभाग	245	103	142	189	56	0	0 2,450
40	वन विभाग	2848	2423	425	2308	185	133	222 1,20,385
41	निर्वाचन विभाग	1774	1393	381	1668	29	58	19 35,933
42	राजस्थान राज्य महिला आयोग	68	68	0	68	0	0	0 1,941
43	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	82	82	0	82	0	0	0 580
44	कार्मिक विभाग	2080	2080	0	2042	1	37	0 2,19,412
45	खान विभाग	2580	2286	294	1809	454	37	280 1,61,074
46	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1786	1393	393	1520	187	26	53 31,167
47	संस्कृत शिक्षा विभाग	318	273	45	305	5	7	1 9,889
48	परिवहन विभाग	8426	7904	522	8014	255	26	131 1,06,621
49	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	492	480	12	485	2	5	0 8,915
50	सम्पदा विभाग	71	54	17	71	0	0	0 13,640
51	पशुपालन विभाग	511	484	27	382	113	0	16 16,374
52	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	267	222	45	256	11	0	0 44,160
53	उद्यान निदेशालय	304	281	23	293	5	5	1 1,75,523
54	आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	7	7	0	5	0	2	0 50
55	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	3582	3375	207	2421	114	787	260 1,07,385
56	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	249	189	60	215	0	0	34 7,858
57	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	76	67	9	59	2	10	5 1,022
58	युवा मामले एवं खेल विभाग	76	73	3	60	9	3	4 730
59	लोकायुक्त सचिवालय	525	525	0	525	0	0	0 23,047
60	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	5966	4053	1913	4624	851	222	269 1,45,878
61	शिक्षा विभाग	16328	14349	1979	10987	2884	479	1978 1,85,259
62	प्रशासनिक सुधार विभाग	967	967	0	960	7	0	0 9,900
63	सैनिक कल्याण विभाग	108	43	65	108	0	0	0 1,431
64	स्वायत शासन विभाग	16386	13025	3361	10074	3942	454	1916 3,20,141
65	जन अभियोग निराकरण विभाग	129	129	0	129	0	0	0 520
66	उपनिवेशन विभाग	660	539	121	622	22	16	0 16,356
67	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	97	97	0	97	0	0	0 4,821
68	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	88	3	85	65	20	3	0 3,853
69	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	276	276	0	211	65	0	0 6,006
	योग	199866	161842	38024	160772	20381	7500	11213 68,80,576

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण

(वर्ष 2015-16)

प्रपत्र —ख

क्र.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	59	18	30	11
2	समेकित बाल विकास विभाग	82	62	18	2
3	आयुक्तालय महिला अधिकारिता	17	17	0	0
4	विभागीय जांच विभाग	1	1	0	0
5	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	272	238	22	12
6	आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग	126	52	74	0
7	गृह विभाग	2292	850	1334	108
8	वित्त विभाग	657	531	126	0
9	पर्यावरण विभाग	2	2	0	0
10	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	83	60	23	0
11	अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	42	39	3	0
12	जयपुर विकास प्राधिकरण	1887	1015	787	85
13	राज0 राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल	0	0	0	0
14	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	112	0	112	0
15	राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड	6	6	0	0
16	राज्य निर्वाचन आयोग	9	0	9	0
17	आयोजना विभाग	7	0	7	0
18	एच.सी.एम. रीपा	1	1	0	0
19	विधि एवं विधिक कार्य विभाग	54	12	42	0
20	उर्जा विभाग	1393	892	313	188
21	उद्योग विभाग	377	156	162	59
22	जल संसाधन विभाग	115	74	41	0
23	तकनीकी शिक्षा विभाग	154	150	4	0
24	राजभवन, जयपुर	39	6	31	2
25	सामान्य प्रशासन विभाग	29	28	1	0
26	राजस्थान लोक सेवा आयोग	613	303	213	97
27	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	3	3	0	0
28	सहकारिता विभाग	290	267	21	2
29	राजस्थान आवासन मण्डल	377	306	56	15
30	कृषि विभाग	130	101	10	19
31	सार्वजनिक निर्माण विभाग	294	264	18	12
32	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	2	0	2	0
33	नगर निगम, जयपुर	922	785	137	0
34	श्रम एवं नियोजन विभाग	37	13	24	0

क्र.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
35	पर्यटन विभाग	36	30	0	6
36	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	80	56	11	13
37	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	103	14	89	0
38	उच्च शिक्षा विभाग	352	328	21	3
39	देवरथान विभाग	7	0	7	0
40	वन विभाग	272	237	17	18
41	निर्वाचन विभाग	87	57	23	7
42	राजस्थान राज्य महिला आयोग	0	0	0	0
43	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	12	12	0	0
44	कार्मिक विभाग	202	202	0	0
45	खान विभाग	167	31	47	89
46	चिकित्सा शिक्षा विभाग	263	184	53	26
47	संस्कृत शिक्षा विभाग	15	11	4	0
48	परिवहन विभाग	368	337	25	6
49	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	57	48	8	1
50	सम्पदा विभाग	3	3	0	0
51	पशुपालन विभाग	77	77	0	0
52	सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	23	8	15	0
53	उद्यान निदेशालय	0	0	0	0
54	आवासीय आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली	1	1	0	0
55	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	336	135	158	43
56	सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय	49	49	0	0
57	कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग	0	0	0	0
58	युवा मामले एवं खेल विभाग	11	10	0	1
59	लोकायुक्त सचिवालय	42	0	42	0
60	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	559	471	53	35
61	शिक्षा विभाग	1901	1382	282	237
62	प्रशासनिक सुधार विभाग	72	21	35	16
63	सैनिक कल्याण विभाग	2	2	0	0
64	स्वायत शासन विभाग	1539	749	437	353
65	जन अभियोग निराकरण विभाग	2	2	0	0
66	उपनिवेशन विभाग	61	39	21	1
67	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग	7	6	1	0
68	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	9	8	1	0
69	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	65	65	0	0
		17264	10827	4970	1467

विभाग / लोक प्राधिकरण जिनसे आंशिक / अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है (वर्ष 2015-16)

प्रपत्र -ग

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन			प्रदत्त सूचनाएँ			वर्ष 2015-16 में प्राप्त राजस्व	
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय स्तर पर प्राप्त	अन्य	सम्बन्धित सम्बन्ध	सम्बन्धित बाइ	अस्वीकृत अ		
1	नगरीय विकास विभाग	4488	4373	115	3680	424	33	351	33373
2	राजस्व विभाग	972	822	150	887	56	24	5	23679
3	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	3360	3142	218	3039	222	46	53	32244

प्रथम अपील

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	नगरीय विकास विभाग	447	267	170	10
2	राजस्व विभाग	45	45	0	0
3	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	0	0	0	0

यथेमां वाचं कल्याणीम् - आवदानि जनेभ्यः
(यजुर्वेद)

अर्थात्


यह जानकारी मैं जन-जन को दूँगा
क्योंकि यही हितकारी होगा ।



The Logo of Right to Information

A sheet of paper with information on it and the public authority behind it, providing the information. This represents people's empowerment through transparency and accountability in governance.

आवदानि जनेझ्यः



राजस्थान राज्य सूचना आयोग